	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 जरिये नोट प्रेस खारिज हो चुका हैं। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.202 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। मूल प्रार्थना पत्र निस्तारित होने से हस्तगत अपील औचित्य विहिन हो चुकी है। लिहाजा हस्तगत अपील औचित्य विहिन/प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर